(59)

सं. 2/8/97-स्था.(वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 28, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- **समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर उन्हें केन्द्रीय सचिवालय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते के भुगतान संबंधी नियमों में संशोधन ।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पहले केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के पद पर नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में वेतन जमा केन्द्रीय सचिवालय कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की अधिकतम सीमा 18,300/- रू. थी । यह अधिकतम सीमा इस विभाग की दिनांक 11.08.1998 की अधिसूचना द्वारा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा सहित) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में समाप्त कर दी गई थी । अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में , वेतन जमा केन्द्रीय सचिवालय कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की 18,300/- रू. की अधिकतम सीमा को भावी प्रभाव से पुनः शुरू किए जाने से संबद्ध मुद्दा सरकार के विचाराधीन था । फिर भी, दिनांक 11.08.98 के आदेश को जारी हुए काफी समय गुजर गया है और इस प्रकार 5 वर्ष से लागू आदेश को वापस लेना संभव नहीं पाया गया । तदनुसार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के पद पर नियुक्त केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में वेतन जमा केन्द्रीय सचिवालय कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की अधिकतम सीमा को उसी तारीख से समाप्त कर दिए जाने से संबद्ध मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया गया जिस तारीख़ से यह अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में समाप्त कर दी गई थी और यह तय किया गया है कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में नियुक्ति हो जाने पर, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में लागू व्यवस्था, केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगी । परिणामतः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के पद पर नियुक्त केन्द्रीय समूह "क" अधिकारियों के संबंध में वेतन जमा केन्द्रीय सचिवालय कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की, 18,300/-रू. की अधिकतम सीमा 11.08.1998 से समाप्त कर दी गई है ।

2. ये आदेश वित्त मंत्रालय से परामर्श करके जारी किए जाते हैं जिन्होंने इन आदेशों के प्रति व्यय विभाग के दिनांक 19.02.2004 के आई. सी. यू. ओ. सं. 110/1/2003/आई.सी. द्वारा अपनी सहमति दे दी थी ।

3. जहाँ तक इन आदेशों के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों पर लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

भारत सरकार की उप सचिव

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

सं. 2/8/97-स्था. (वेतन-।।)

दिनांक अप्रैल 28 , 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक तथा उनके नियंत्रण के अधीन सभी राज्य (400 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. सचिव,संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग/संयुक्त परामर्शदायी तंत्र एवं अनिवार्य विवाचन/प्रशासन अनुभाग) ।
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय ।
6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) , 13-सी, फीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली ।
8. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र एवं अनिवार्य विवाचन की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग /प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/ पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. 500 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

भारत सरकार की उप सचिव